Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

भागीरथ वगैराह **बनाम** **जे0 के0 सीमेंट वर्क्स निम्बाहेडा वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 65 (02) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र (रे.वि.)** नं0 **012** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 01 की और से अधिवक्ता नरेश शर्मा हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश कियाा जो शामिल पत्रावली रहे। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी कंपनी के साथ समझौता हो चुका है एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना–पत्र नहीं चलना चाहते है। अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावें। प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली रहें। रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील अप्रार्थी संख्या 1 को दिलवाई गई। हाजिर वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना–पत्र बाबत् कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। प्रकरण में पक्षकारान में समझौता हो चुका है, एवं प्रार्थीगण स्वयं अपना प्रार्थना–पत्र नहीं चलाना चाहते है, ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो को स्वीकार किया जाता है, एवं प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। -S/d- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 19.06.2024	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official